

**छावनी बोर्ड के विभिन्न बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट की साधारण बैठक का कार्यवृत्त 31-12-2021 को 11.00 बजे
छावनी बोर्ड के कार्यालय में आयोजित, सेंट थॉमस माउंट**

उपस्थित सदस्य

1. ब्रिगे. शिव टी. वीएसएम, अध्यक्ष
2. श्री. सी दिनेश कुमार रेड्डी, सदस्य सचिव
3. श्री. पी.ए. गुना, मनोनीत सदस्य

1. सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम में छावनी औषधालय सह प्रसूति अस्पतालों का नाम बदलना

07.01.2022 को अस्पतालों के उन्नयन के संबंध में पीडीडीई, सीईओ एवं एएमओ के बीच आयोजित वीडियो कांफ्रेंस के दौरान, यह देखा गया है कि स्वास्थ्य देखभाल सुविधा का मौजूदा नामकरण अर्थात् छावनी औषधालय सह प्रसूति अस्पताल बुनियादी ढांचे के मौजूदा स्तर को सही ढंग से नहीं दर्शाता है और छावनी द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं और इसलिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधा द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के स्तर को सही मायने में प्रतिबिंबित करने के लिए इसका नाम बदलने की आवश्यकता है। तदनुसार, स्वास्थ्य सुविधा का नाम बदलकर निम्नानुसार प्रस्तावित किया जाता है:-

अ. सेंट थॉमस माउंट में छावनी औषधालय सह प्रसूति अस्पताल सेंट थॉमस माउंट में "छावनी सामान्य अस्पताल" के रूप में।

आ. श्री गुलाबचंद जैन छावनी मुक्त औषधालय "श्री गुलाबचंद सयार बाई जैन छावनी सामान्य अस्पताल" के रूप में।

इस संबंध में संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं।

संकल्प सं: 01: एजेडा पक्ष में उल्लिखित सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम में छावनी औषधालय सह प्रसूति अस्पतालों के नामकरण पर विचार और अनुमोदन किया गया।

2. नैदानिक रोगविज्ञानी (डीसीपी) की सगाई

07-01-2022 को सीईओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीडीडीई के निर्देशों के अनुसार, दोनों छावनी अस्पताल प्रयोगशाला सेवाओं के लिए अनुबंध के आधार पर क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट (डीसीपी) की नियुक्ति पर विचार और अनुमोदन करना।

कार्यालय रिपोर्ट : सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम में दोनों छावनी अस्पताल प्रयोगशाला सेवाएं प्रदान करते हैं, एक स्थान पर प्रयोगशाला तकनीशियन के एक स्वीकृत पद के साथ और दूसरे में आउटसोर्सिंग द्वारा। वर्तमान में, लैब रिपोर्ट केवल लैब तकनीशियन द्वारा तैयार की जाती है, जो कि नैदानिक स्थापना अधिनियम, 2010 के अनुसार क्रम में नहीं है। लैब तकनीशियन द्वारा तैयार की गई लैब रिपोर्ट को प्रयोगशाला विशेषज्ञ यानी क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट (क्लिनिकल पैथोलॉजी में पीजी डिप्लोमा) द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, दोनों अस्पतालों के लिए 01 क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट को अनुबंध के आधार पर 25,000/- रुपये प्रति माह के समेकित मानदेय पर लगाया जा सकता है।

संबंधित दस्तावेज मेज पर रखे गए हैं। बोर्ड फैसला कर सकता है।

संकल्प सं: 02: बोर्ड ने अनुबंध के आधार पर दोनों अस्पतालों के लिए 25,000/- रुपये प्रति माह के समेकित मानदेय पर एक क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट की नियुक्ति पर विचार किया और उसे मंजूरी दी।

3. सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम में छावनी अस्पतालों में अनुबंध के आधार पर विशेषज्ञ सेवाओं का प्रावधान

सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम में छावनी अस्पतालों में अनुबंध के आधार पर विशेषज्ञ सेवाओं के प्रावधान पर विचार और अनुमोदन करना और नैदानिक स्थापना अधिनियम, 2010 के अनुसार मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को लेवल आईए से लेवल आईबी में अपग्रेड करने के लिए भी।

छावनी बोर्ड अस्पताल में निम्नलिखित विशेषज्ञ सेवाओं को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है: -

योग्यता

1. पीडियाट्रिशियन - एमडी / डीसीएच
2. सामान्य चिकित्सक - एमडी / डीएनबी (सामान्य चिकित्सा)
3. जनरल सर्जन- एमएस/डीएनबी (जनरल सर्जरी)
4. कान नाक गला विशेषज्ञ-डीएलओ/डीएनबी ईएनटी/एमएस ईएनटी

पार्ट टाइम विजिटिंग कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट सेवाएं संविदा के आधार पर साप्ताहिक एक बार, विशेषज्ञ की मांग और उपलब्धता के अनुसार 2,000/- रुपये (2 घंटे/प्रति विज़िट) के मानदेय पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

संबंधित दस्तावेज मेज पर रखे गए हैं।

संकल्प सं: 03: सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम में छावनी अस्पतालों में प्रत्येक में 2,000 / - (2 घंटे / प्रति विज़िट) के मानदेय पर बाल रोग विशेषज्ञ, सामान्य चिकित्सक, सामान्य सर्जन और ईएनटी विशेषज्ञ की विशेषज्ञ सेवाओं के प्रावधान पर विचार और अनुमोदित प्रावधान और मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को लेवल 1ए से लेवल आईबी में अपग्रेड करना।

4. ऑपरेशन थियेटर उपकरण और जनशक्ति की खरीद

संदर्भ : 1. पीडीडीई द्वारा सीईओ और एएमओ के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस का कार्यवृत्त दिनांक 07-01-2022.

2. छावनी सामान्य अस्पतालों में ऑपरेशन थियेटर और अतिरिक्त स्टाफ सुविधाएं उपलब्ध कराकर प्रसूति सेवाओं में सुधार के संबंध में, एएमओ पल्लावरम का पत्र दिनांक 30.11.2021.

उक्त के सन्दर्भ में आवश्यक ऑपरेशन थियेटर उपकरण एवं ठेके के आधार पर जनशक्ति का प्रापण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है। ऑपरेशन थियेटर उपकरण का विवरण **अनुबंध 'ए'** के रूप में संलग्न है। जनशक्ति का विवरण इस प्रकार है: -

क्रम संख्या	जनशक्ति का विवरण	आवश्यक मानव शक्ति की संख्या	मानदेय	अधिकार
1.	ओटी प्रशिक्षित स्टाफ नर्स	06 संख्या	रु.20,000/- प्रति माह	समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
2.	ओटी तकनीशियन	02 संख्या	रु.19,000/- प्रति माह	समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
3.	एनेस्थेतिस्ट / बाल रोग विशेषज्ञ	प्रत्येक	रु.1,500/- प्रति मामला	सीईएमओएनसी दरें
4.	वार्ड परिचारक	04 संख्या	रु.17,000/- प्रति माह	समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

इस संबंध में संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं।

संकल्प सं: 04: सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) के माध्यम से अपेक्षित ऑपरेशन थिएटर उपकरण की खरीद और एजेंडा पक्ष में उल्लिखित अनुबंध के आधार पर मानव शक्ति को शामिल करने के लिए स्वीकृत और अनुमोदित।

5. एक माह के लिए अनुबंध के आधार पर हिंदी अनुवादक की नियुक्ति

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अनुबंध के आधार पर 01 महीने के लिए नीचे दिए गए हिंदी अनुवादक की नियुक्ति पर विचार और अनुमोदन करने के लिए: -

क्रम संख्या	नाम	मानदेय	अनुबंध समाप्त होता है
1.	श्रीमती पी.जयप्रिया	20,000	23.01.2022-28.02-2022

इस कार्यालय ने अनुबंध के आधार पर हिंदी अनुवादक की भर्ती के लिए जीईएम के माध्यम से बोली लगाई है। तकनीकी बोली 19.01.2022 को खोली गई थी और प्रक्रिया 28.02.2022 को समाप्त होने की संभावना है। अतः 23.01.2022 से 28.02.2022 तक संविदा के आधार पर हिन्दी अनुवादक की नियुक्ति 20,000/- रुपये प्रतिमाह के मानदेय पर स्वीकृत की जा सकती है।

इस संबंध में संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं।

संकल्प सं: 05: उपरोक्त हिंदी अनुवादक को 23.01.2022 से 28.02.2022 की अवधि के लिए 20,000/- रुपये प्रति माह के मानदेय पर अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने पर विचार और अनुमोदन किया गया, क्योंकि जेम निविदा को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

6. छावनी विद्यालयों में संविदा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति

संदर्भ : सीबीआर संख्या 28, दिनांक 31.12.2021

शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के अंत तक अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित शिक्षकों की नियुक्ति पर विचार और अनुमोदन करना।

यह सूचित किया जाता है कि, शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए कुल 3500 छात्रों ने 06 छावनी बोर्ड के स्कूलों में अपना प्रवेश दर्ज कराया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाध्यापिका की आवश्यकता के अनुसार यह कार्यालय शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के अंत तक निम्नलिखित शिक्षकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करेगा।

क्रम संख्या	नाम	मानदेय	क्रम संख्या	नाम	मानदेय
1.	श्रीमती थेन्नाझगी	18560	22.	श्रीमती वाई जॉय	18560
2.	श्रीमती आर मीनाक्षी	18560	23.	श्रीमती एंजेलिन शीबा	18560
3.	श्रीमती पेराथु सेल्वि	18560	24.	श्रीमती मागरिट मालिनी	36400
4.	श्रीमती कस्तूरी	18560	25.	श्री. दिवाकरण	18560
5.	श्रीमती नर्गिस बेगम	18560	26.	श्रीमती आर शांति	18560
6.	श्रीमती अनीता सिंह	18560	27.	श्रीमती आर शांति	10000
7.	श्रीमती भुवनेश्वरी	18560	28.	श्रीमती जेपी विक्टोरिया	18560
8.	श्रीमती साई ईश्वरी	18560	29.	श्रीमती जूडिथ राहेल	18560

9.	श्रीमती अनीता सेल्वि	18560	30.	श्रीमती सैंडा मेटिल्डा	18560
10.	श्रीमती हेमलता	18560	31.	श्रीमती शांता कुमारी	18560
11.	श्रीमती पी. मारि	18560	32.	श्रीमती बी निशांति	18560
12.	श्रीमती लता	36400	33.	श्रीमती टी. तमिलसेल्वी	18560
13.	श्रीमती सभीता	36400	34.	श्रीमती एस वसंत:	18560
14.	श्रीमती ग्रेस	36400	35.	श्रीमती एन. विजया लक्ष्मी	18560
15.	श्रीमती इंद्र:	18560	36.	श्रीमती सुबाशिनी	18560
16.	श्रीमती आर शांति	18560	37.	श्रीमती जयंती	18560
17.	श्री. डी. रवि	18560	38.	श्रीमती रूबी मनोनमनी	18560
18.	श्रीमती वेलंकन्नी मारिया	18560	39.	श्रीमती क्रिस्टीनाल	18560
19.	श्रीमती हेलेन जॉयस	18560	40.	श्रीमती जयसुधा	18560
20.	श्रीमती के. अमुथा	18560	41.	श्रीमती किरूबा	18560
21.	श्रीमती जे. वेधावल्ली	18560	42.	श्रीमती इंद्र:	18560

इस संबंध में संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं।

संकल्प सं: 06: बोर्ड ने 04.02.2022 से 30.04.2022 (शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के अंत) की अवधि के लिए एजेंडा पक्ष में उल्लिखित छावनी स्कूलों में अनुबंध के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति पर विचार और अनुमोदन किया।

7. सहायक चिकित्सा अधिकारी, छावनी बोर्ड अस्पताल, सेंट थॉमस माउंट को एक ही पद पर 08 वर्ष पूरे होने पर एसीपी का अनुदान

सहायक चिकित्सा अधिकारियों, छावनी बोर्ड अस्पताल, पल्लावरम को एसीपी के अनुदान पर विचार करने और अनुमोदन करने के लिए, जो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार उसी पद पर कार्यरत हैं। तमिलनाडु राज्य सरकार के अनुसार जी.ओ.एमएस. संख्या 245 दिनांक 30.10.2013, सभी निदेशालयों की तमिलनाडु चिकित्सा सेवा में कार्यरत सहायक सर्जन को वरिष्ठ सहायक सर्जन वेतन बैंड - III रुपये 15600 -39100 + 5700GP के पद / वेतनमान में 8 वर्ष की पात्र सेवा पूरी करने पर समयबद्ध पदोन्नति / एसीपी दिया जाएगा। समझौता ज्ञापन के अनुसार, छावनी बोर्ड के सहायक चिकित्सा अधिकारी भी तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए दिए गए एसीपी के अनुदान के हकदार हैं। इस संबंध में निम्नलिखित सहायक चिकित्सा अधिकारी, छावनी बोर्ड अस्पताल, पल्लावरम एसीपी प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, विवरण नीचे सूचीबद्ध हैं: -

क्रम संख्या	नाम और पदनाम	अपॉइंटमेंट की तिथि	8 वर्ष पूर्ण होने की तिथि	मौजूदा वेतनमान	संशोधित वेतनमान	टिप्पणियों
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)
1.	डॉ जी एस निशा, सहायक चिकित्सा अधिकारी	13.01.2014	12.01.2022	15600-39100 +5400 जीपी (छठे वेतन आयोग के अनुसार) 56100 - 177500 (7वें वेतन आयोग के अनुसार)	15600-39100 +5700 जीपी (छठे वेतन आयोग के अनुसार) 56900 - 180500 (7वें वेतन आयोग के अनुसार)	13.01.2022 से कॉलम (8) में उल्लिखित संशोधित वेतनमान के लिए पात्र

क्रम संख्या	नाम और पदनाम	अपॉइंटमेंट की तिथि	8 वर्ष पूर्ण होने की तिथि	मौजूदा वेतनमान	संशोधित वेतनमान	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)
2.	डॉ. सी. दीबा, सहायक चिकित्सा अधिकारी	17.01.2014	16.01.2022	15600-39100 +5400 जीपी (छठे वेतन आयोग के अनुसार) 56100 - 177500 (7वें वेतन आयोग के अनुसार)	15600-39100 +5700 जीपी (छठे वेतन आयोग के अनुसार) 56900 - 180500 (7वें वेतन आयोग के अनुसार)	17.01.2022 से कॉलम (8) में उल्लिखित संशोधित वेतनमान के लिए पात्र

बोर्ड की मंजूरी के बाद, एक स्व-निहित प्रस्ताव आवश्यक अनुमोदन के लिए प्रधान निदेशक, दक्षिणी कमान, पुणे को भेजा जाएगा।

इस संबंध में संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं।

संकल्प सं: 07: माना और स्वीकृत किया गया। सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के लिए प्रधान निदेशक, डीई, एससी, पुणे को आवश्यक प्रस्ताव शुरू किया जाए।

8. छावनी बोर्ड के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर का भुगतान

छावनी बोर्ड के कर्मचारियों को 01-01-2022 से महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर के भुगतान पर विचार करने और अनुमोदन करने के लिए, जैसा कि तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा उनके जी.ओ.सं.3 दिनांक 01-01-2022 द्वारा स्वीकृत किया गया है। वित्त (भत्ता) विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दर को 01-01-2022 से 17% से बढ़ाकर 31% कर दिया है। समझौता ज्ञापन के अनुसार, छावनी बोर्ड के कर्मचारी भी संशोधित महंगाई भत्ते की दर के हकदार हैं। प्रति माह शामिल वित्तीय निहितार्थ रु.13,85,454/- (लगभग) है जो छावनी निधि से पूरा किया जाएगा। बोर्ड की मंजूरी के बाद, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव निदेशालय, अनुसूचित जाति, पुणे को भेजा जाएगा। इस संबंध में कार्यालय की रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं।

संकल्प सं: 08: माना और स्वीकृत किया गया। पीडीडीई, दक्षिणी कमान को मंजूरी के लिए आवश्यक प्रस्ताव भेजे जाएं।

9. नकद प्रबंधन प्रभार लगाना

संदर्भ : डीजीडीई पत्र संख्या 83/62/डीजीडीईआईटी/ओएमसीबी/वॉल्यूम-X दिनांक 07.01.2022.

सेंट थॉमस माउंट पल्लावरम छावनी बोर्ड में करों और गैर-करों जैसे भुगतान नकद में प्राप्त होने पर नकद प्रबंधन शुल्क लगाने पर विचार करना।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि डीजीडीई ने संदर्भ के तहत उद्धृत पत्र के माध्यम से बोर्डों को निर्देश दिया है कि यदि नागरिक नकद भुगतान करते हैं तो नकद प्रबंधन शुल्क लगाने पर विचार करें। यह ध्यान रखना है कि, कैश हैंडलिंग शुल्क की वसूली भी एक निवारक के रूप में कार्य करेगी और स्वयं-सेवा मोड में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करेगी।

इसलिए, बोर्ड नकद मोड में करों और गैर-करों के लिए प्राप्त भुगतानों के लिए कैश हैंडलिंग शुल्क तय करने का निर्णय ले सकता है।

इस संबंध में संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं।

संकल्प सं: 09: बोर्ड ने मामले पर विचार किया है और यदि भुगतान नकद तरीके से किया जा रहा है, तो कुल राशि के 1% की दर से कैश हैंडलिंग शुल्क लगाने का संकल्प लिया है।

10. अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर कर का संशोधन (टीटीपी) शुल्क

छावनी बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम में अचल संपत्ति के हस्तांतरण (टीटीआईपी) पर कर पर विचार और संशोधन करना।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि, यह कार्यालय छावनी सीमा के भीतर खरीदी गई संपत्तियों के लिए अचल संपत्ति के हस्तांतरण (टीटीआईपी) पर कर लगाता है। छावनी बोर्ड ने भारत के राजपत्र के तहत अचल संपत्ति (टीटीआईपी) के हस्तांतरण पर संपत्ति के बाजार मूल्य के 1% से 5% तक कर की दर को संशोधित किया था, अधिसूचना एस.आर.ओ. नंबर 1 दिनांक 24.12.1963.

यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि, उप-पंजीयक कार्यालय में संपत्ति का हस्तांतरण/हस्तांतरण स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क के अधीन है। छावनी के बाहर स्थित संपत्ति के लिए स्टाम्प शुल्क की वर्तमान प्रतिशत दर 7% है और पंजीकरण शुल्क 4% है। जबकि, यदि संपत्ति छावनी सीमा के भीतर स्थित है, तो उप-पंजीयक कार्यालय केवल 5% स्टाम्प शुल्क के रूप में और 4% पंजीकरण शुल्क के लिए वसूल करता है, अर्थात्, (11% के बजाय केवल कुल 9%), छावनी बोर्ड के रूप में छावनी बोर्ड को दस्तावेज जमा करने के समय संपत्ति के खरीदार से स्वतंत्र रूप से अचल संपत्ति (टीटीआईपी) के हस्तांतरण पर 5% कर लगाया जाता है।

अतः अनुरोध है कि बोर्ड इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करे।

इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज मेज पर रखे गए हैं।

संकल्प सं: 10: बोर्ड ने इस मामले पर विचार किया और कहा कि छावनी बोर्ड द्वारा लगाया गया मौजूदा टीटीआईपी पहले से ही पड़ोसी निगम की तुलना में अधिक है, जो केवल 2% लगाता है। टीटीआईपी के बढ़ने से छावनी क्षेत्र के निवासियों पर और बोझ पड़ेगा। इसलिए, बोर्ड संपत्ति के बाजार मूल्य का केवल 5% टीटीआईपी के रूप में लगाने का संकल्प करता है।

11. संपत्ति कर का संशोधन

छावनी बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम में संपत्ति कर पर विचार और संशोधन करना।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि, यह कार्यालय छावनी सीमा के भीतर स्थित संपत्तियों के लिए एआरवी के 26.5 प्रतिशत की दर से संपत्ति कर लगाता है।

इस संबंध में 07.01.2022 को पीडीडीई और सीईओ के बीच आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, पीडीडीई ने राजस्व सृजन बढ़ाने के लिए कम से कम वाणिज्यिक/आकर्षक प्रतिष्ठानों पर कर को और संशोधित करने के विकल्प का पता लगाने का निर्देश दिया है।

अतः अनुरोध है कि बोर्ड इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करे।

इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज मेज पर रखे गए हैं।

संकल्प सं: 11: बोर्ड ने मामले पर विचार किया और कहा कि मौजूदा संपत्ति कर पहले से ही पड़ोसी निगम की तुलना में अधिक है, जो केवल 24.8% लगाता है। इसके अलावा वाणिज्यिक/आकर्षक प्रतिष्ठान एफएसआई/भवन उप-नियमों पर प्रतिबंधों के

कारण नुकसान की स्थिति में हैं। संपत्ति कर के संशोधन के बजाय, राजस्व सृजन को बढ़ाने के लिए छावनी अधिनियम, 2006 के 73 (ए) और (बी) के संदर्भ में एआरवी का संशोधन अक्षरशः किया जाना है। इस संबंध में, 2022-25 की अवधि के लिए आकलन का त्रैवार्षिक संशोधन एमओडी/डीजीडीई द्वारा अंतिम रूप दिए जा रहे एसओपी के अनुसार किया जाना है।

12. कंजर्वेसी लॉरी नंबर TN 22 बीके 4737 की मरम्मत

कंजर्वेसी व्हीकल नंबर टीएन 22 बीके 4737 की मरम्मत के लिए निविदा पर विचार और अनुमोदन करना।

कार्यालय नोट : आरटीओ, मीनांबक्कम द्वारा कंजर्वेसी लॉरी टीएन 22 बीके 4737 के लिए जारी फिटनेस सर्टिफिकेट 26-01-2022 से समाप्त होने जा रहा है। एफसी प्राप्त करने के लिए मरम्मत कार्य करना आवश्यक है। लॉरी की मरम्मत के लिए निविदाएं आमंत्रित करने के लिए पत्र संख्या STM/SAN/VEH/2597 दिनांक 27-12-2021 के माध्यम से एक निविदा नोटिस जारी किया गया था। 12-01-2022 को खोली गई निविदा में पांच निविदाकारों ने भाग लिया। विभिन्न फर्मों द्वारा उद्धृत दरों का विवरण नीचे दिया गया है: -

क्रम संख्या	निविदाकर्ता का नाम और पता	राशि
1	मेसर्स राधाकृष्णन ऑटो वर्क्स नंबर 5, सुब्रमण्यम स्ट्रीट, पंचायत कॉलोनी, थिरुनीरमलाई मेन रोड, पम्मल, चेन्नई-600075	रु.1,24,500/-
2	मेसर्स महा शक्ति बॉडी वर्क्स नंबर 281, श्रीनिवास नगर, टूंक रोड, पूनमल्ली, चेन्नई-600056.	रु.1,27,000/-
3	मेसर्स श्री शक्ति विनयगर लेबर बॉडी वर्क्स 73, कुंद्राथुर, मुंद्रमकट्टलाई, चेन्नई-600069	रु.1,31,000/-
4	मेसर्स ग्लोबल मोटर्स 22/2ए, बायपास रोड, पूनमल्ली, चेन्नई-56	रु.1,32,000/-
5	मेसर्स के जे बॉडी वर्क्स 4/88, सीटीएच, रोड, नेमिलिचेरी, थिरुनीरवुर, चेन्नई-600024	रु.1,60,000/-

उपरोक्त पांच निविदाकारों में से, मेसर्स राधाकृष्णन ऑटो वर्क्स, नंबर 5, ए.आर. सुब्रमण्य स्ट्रीट, पंचायत कॉलोनी, पम्मल, चेन्नई - 600 075, ने सबसे कम 1,24,500/- रुपये (एक लाख चौबीस हजार पांच सौ रुपये मात्र) की बोली लगाई है। बोर्ड मेसर्स राधाकृष्णन ऑटो वर्क्स को कार्य आदेश जारी करने का निर्णय ले सकता है। संबंधित कागजात टेबल पर रखे गए हैं।

संकल्प सं: 12: बोर्ड ने कंजर्वेसी वाहन नंबर टीएन 22 बीके 4737 की मरम्मत के लिए मेसर्स राधाकृष्णन ऑटो वर्क्स, चेन्नई - 75 द्वारा उद्धृत 1,24,500 / - रुपये की न्यूनतम राशि पर विचार और अनुमोदन किया।

13. छावनी अधिनियम 2006 की धारा 235 के तहत भवन निर्माण आवेदन

श्रीमती निरंजना देवी से प्राप्त भवन आवेदन (योजना) दिनांक 02.11.2021 पर विचार करने के लिए, नंबर-14/82, कन्नगी स्ट्रीट, कलैग्नर नगर, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई - 600 016 प्रस्तावित विध्वंस के लिए अनुमति का अनुरोध और भूतल में आवासीय भवन और प्रथम तल में आवासीय भवन का पुनः निर्माण। सेंट थॉमस माउंट (वार्ड नंबर II) में अधिसूचित बाजार क्षेत्र के बाहर स्थित, बी 2 भूमि के रूप में वर्गीकृत जीएलआरएस नंबर 264 भाग (आरएस नंबर 1910 भाग) वाली विषय भूमि। छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 234 के अनुसार, बोर्ड अधिसूचित बाजार क्षेत्र के बाहर स्थित भूमि के लिए भवन योजना को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। इसलिए इसे मंजूरी के लिए बोर्ड के समक्ष रखा गया है।

इंजीनियरिंग अनुभाग ने बताया है कि सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण शामिल नहीं है। एई/जेई की रिपोर्ट के अनुसार, भवन योजना भवन उपनियमों और एफएसआई प्रतिबंधों के अनुरूप है। संबंधित फाइल और कार्यालय की रिपोर्ट को पटल पर रखा गया है।

संकल्प सं: 13: बोर्ड ने छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 234 के तहत भवन योजना को मंजूरी देने का संकल्प लिया और मंजूरी दे दी, जो छावनी बोर्ड की धाराओं और उप-नियमों के तहत शर्तों के अनुरूप है और अन्य लागू प्रावधानों/अधिनियमों के तहत कार्रवाई करने के लिए बोर्ड के अधिकारों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।

14. छावनी अधिनियम 2006 की धारा 235 के तहत भवन निर्माण आवेदन

श्री ग्लेन विलियम्स राफेल फ्रांसिस से प्राप्त भवन आवेदन (योजना) दिनांक 07.10.2021 पर विचार करने के लिए, फ्लैट नंबर 16, तीसरी मंजिल, आदित्य बिल्डिंग, भारत पेट्रोलियम स्टाफ कॉलोनी, नंबर 1, रंगराजन गार्डन, अन्ना नगर, चेन्नई - 600 040 प्रस्तावित विध्वंस के लिए अनुमति का अनुरोध और भूतल में आवासीय भवन और दरवाजे नंबर 4/40-ए, पैट्रिक चर्च रोड 2 स्ट्रीट, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई - 600 016 में पहली मंजिल में आवासीय भवन का पुनर्निर्माण।

जीएलआरएस नंबर 290 (आरएस नंबर 1946 भाग) वाली विषय भूमि, बी 2 भूमि के रूप में वर्गीकृत, सेंट थॉमस माउंट (वार्ड नंबर II) में अधिसूचित बाजार क्षेत्र के बाहर स्थित है। छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 234 के अनुसार, बोर्ड अधिसूचित बाजार क्षेत्र के बाहर स्थित भूमि के लिए भवन योजना को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। इसलिए इसे मंजूरी के लिए बोर्ड के समक्ष रखा गया है।

इंजीनियरिंग अनुभाग ने बताया है कि सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण शामिल नहीं है। एई/जेई की रिपोर्ट के अनुसार, भवन योजना भवन उपनियमों और एफएसआई प्रतिबंधों के अनुरूप है। संबंधित फाइल और कार्यालय रिपोर्ट को पटल पर रखा गया है।

संकल्प सं: 14: बोर्ड ने छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 234 के तहत भवन योजना को मंजूरी देने का संकल्प लिया और स्वीकृत किया, छावनी बोर्ड की धाराओं और उप-नियमों के तहत शर्तों के अनुरूप और अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना और अन्य लागू प्रावधानों/अधिनियमों के तहत कार्रवाई करने के लिए बोर्ड के हित।

15. सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के 2668 वर्ग फुट मापने वाले जीएलआर नंबर 388/635 - ए में पूरी तरह से समाप्त पट्टे की पूरी अवधि के साथ पट्टे का विस्तार

भुगतान पर दिनांक 01-01-2020 से 31-12-2021 तक की अवधि के लिए सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के 2668 वर्ग फुट को मापने वाले जीएलआरएस नंबर 388/635-ए के संबंध में पूरी तरह से समाप्त पट्टे की पूर्ण अवधि से परे पट्टे के विस्तार पर विचार करने के लिए पट्टे की पूरी अवधि की समाप्ति की तारीख को प्रचलित संशोधित एसटीआर दर पर पट्टा किराया।

जीएलआरएस संख्या 388/635-ए में रक्षा भूमि, 2668 वर्ग फुट को मापने, बी -3 के रूप में वर्गीकृत, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के अंदर स्थित है और छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत रखा गया था, जिसे सीएलएआर 1925 की अनुसूची VI में 30 साल की अवधि के लिए पट्टेदार के विकल्प पर 90 साल तक की अवधि के लिए 17-05-1929 से वार्षिक किराए रु.4/- पर आवास के उद्देश्य के लिए पट्टे पर दिया गया था और उप-पंजीयक कार्यालय पल्लावरम में पुस्तक-1 के 1929 के दस्तावेज़ संख्या 1605 के रूप में पंजीकृत, खंड 21, पृष्ठ 10 से 14 23-12-1929 को।

पहली अवधि के लिए पट्टा 16-05-1959 को समाप्त हो गया और सीएलएआर 1937 की अनुसूची IV में निष्पादित नवीकरण पट्टा समझौते के तहत 17-05-1959 से 30 वर्षों की दूसरी अवधि के लिए पट्टे का नवीनीकरण किया गया था और उप-रजिस्ट्रार

कार्यालय पल्लवरम में दस्तावेज़ संख्या 1087, 1960, पुस्तक-1, खंड 199, पृष्ठ 383 और 384 के रूप में 28-04-1960 को 6/- रुपये के वार्षिक किराए पर पंजीकृत किया गया।

दूसरे कार्यकाल के लिए लीज 16-05-1989 को समाप्त हो गई और तीसरे के लिए लीज और 30 वर्ष की अंतिम अवधि को सीएलएआर 1937 की अनुसूची IV में निष्पादित नवीकरण पट्टा समझौते के तहत 17-05-1989 से नवीनीकृत किया गया है और उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय पल्लवरम में 1999 के दस्तावेज़ संख्या 3269, पुस्तक - 1, खंड 2104, पृष्ठ 173 से 175 के रूप में 03-11-1999 को 9 / - के वार्षिक किराए पर पंजीकृत किया गया।

30 साल की तीसरी और आखिरी अवधि के लिए लीज यानी 90 साल की कुल अवधि (पूर्ण अवधि) की अवधि 16-05-2019 को समाप्त हो गई है।

भारत सरकार की अंतरिम नीति के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने पत्र संख्या 11013/2/2016/डी(भूमि) के माध्यम से जारी किया, दिनांक 10-03-2017 और 11013/2/2016/डी(भूमि) दिनांक 31-12-2018, छावनी बोर्ड ने पट्टेदार से अनुरोध किया, श्री वी. कुप्पन पत्र संख्या एसटीएम/एडीएम/लीज/40/0608 द्वारा, दिनांक 21-03-2019, जीएलआरएस सं.388/635-ए में पट्टे के विस्तार के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए, 17-05-2019 से 31-12-2019 तक की अवधि के लिए 2668 वर्ग फुट और मौजूदा एसटीआर की संशोधित दर पर और उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार पट्टा किराए के बकाया का भुगतान करने के लिए।

जवाब में, पट्टेदार ने पत्र दिनांक 11-04-2019 के माध्यम से दिनांक 17-05-2019 से 31-12-2019 तक की अवधि के लिए पट्टे के विस्तार के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की और प्रचलित एसटीआर की संशोधित दर पर लीज रेंट का भुगतान करना।

इसके बाद, छावनी बोर्ड ने पत्र संख्या एसटीएम/एडीएम/लीज/40/0887 दिनांक 14-05-2019 के माध्यम से पट्टेदार को मांग नोटिस जारी किया और एसटीएम/एडीएम/लीज/40/2465 दिनांक 20-11-2019, 2,01,589/- की राशि भेजने के लिए, जीएलआरएस संख्या 388/635-ए में 2668 वर्ग फीट की भूमि के संबंध में 17-05-2019 से 31-12-2019 की अवधि के लिए आवासीय दर पर पट्टा किराए के बकाया के संबंध में। पट्टेदार ने सीबी 4बी रसीद संख्या सी43827 दिनांक 24-06-2019 के माध्यम से 20,000/- रुपये का भुगतान किया और सीबी 4बी रसीद संख्या सी47264 दिनांक 02-12-2019 के माध्यम से 1,81,589/- रुपये का भुगतान किया। (कुल 2,01,589/- रुपये)

पट्टेदार के बाद से, श्री वी कुप्पन ने भारत सरकार की अंतरिम नीति के अनुसार पट्टे की पूर्ण अवधि (90 वर्ष) की समाप्ति की तिथि पर प्रचलित एसटीआर की संशोधित दर पर पट्टा किराए के बकाया का भुगतान किया, रक्षा मंत्रालय, जीएलआरएस संख्या 388/635-ए में पट्टे का विस्तार, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लवरम छावनी के 2668 वर्ग फुट को आवासीय उद्देश्य के लिए 17-05-2019 से 31-12-2019 की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था और सीएलएआर 1937 की अनुसूची IV में उपयुक्त रूप से संशोधित पट्टा समझौते को मंजूरी दी गई थी, डीजीडीई पत्र संख्या 18/48/एल/डीई/57 दिनांक 23-03-2017 के माध्यम से प्राप्त किया गया है और इसे उप-पंजीयक कार्यालय पल्लवरम में 2020 के दस्तावेज संख्या 132 के रूप में पंजीकृत किया गया है।

भारत सरकार की नवीनतम अंतरिम नीति के अनुसार, रक्षा मंत्रालय, पत्र संख्या 11013/2/2016/डी(भूमि) दिनांक 15-02-2021 पट्टेदार द्वारा जारी किया गया, श्री वी कुप्पन ने पत्र दिनांक 07.06.2021 के माध्यम से जीएलआरएसवाई संख्या 388/635-ए में पट्टे के विस्तार के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है, 01.01.2020 से 31.12.2021 तक की अवधि के लिए 2668 वर्ग फुट को मापना तथा शासन के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार संशोधित दर पर भूमि पट्टा किराए का भुगतान करना।

इसके बाद, छावनी बोर्ड ने पट्टेदार को पत्र संख्या एसटीएम/एडीएम/लीज/40/1107 दिनांक 17-06-2021 के माध्यम से मांग नोटिस जारी किया है, पत्र संख्या एसटीएम/एडीएम/लीज/40/1339 दिनांक 19-07-2021 के माध्यम से और पत्र संख्या एसटीएम/एडीएम/लीज/40/0094 दिनांक 21-12-2021 के माध्यम से दिनांक 01.01.2020 से 31-12-2021 तक की अवधि

के लिए आवासीय दर पर बकाया लीज रेंट के रूप में 6,58,590/- रुपये की राशि भेजने का अनुरोध करते हुए जीएलआरएसवाई संख्या 388/635-ए में 2668 वर्ग फुट की भूमि के संबंध में। इसके अलावा, पट्टेदार ने चेक संख्या 716019 दिनांक 27.12.2021 के तहत 6,58,590/- रुपये की पूरी राशि का भुगतान किया।

पट्टेदार के बाद से, श्री वी कुप्पन ने भारत सरकार की अंतरिम नीति के अनुसार पट्टे की पूर्ण अवधि (90 वर्ष) की समाप्ति की तिथि पर प्रचलित एसटीआर की संशोधित दर पर पट्टा किराए के बकाया का भुगतान किया है, रक्षा मंत्रालय, जीएलआरएस संख्या 388/635-ए में पट्टे का विस्तार, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के 2668 वर्ग फुट को आवासीय उद्देश्य के लिए 01.01.2020 से 31.12.2021 की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था और सीएलएआर 1937 की अनुसूची IV में उपयुक्त रूप से संशोधित पट्टा समझौते को मंजूरी दी गई थी, डीजीडीई के पत्र संख्या 18/48/एल/डीई/57 दिनांक 18-02-2021 के माध्यम से प्राप्त निष्पादन और पंजीकरण किया जाना है।

संबंधित फाइल और कार्यालय रिपोर्ट को पटल पर रखा गया है।

संकल्प सं: 15: माना और स्वीकृत किया गया। बोर्ड ने उपयुक्त रूप से संशोधित समझौते को निष्पादित और पंजीकृत करने का संकल्प लिया। इसके बाद, विषय पट्टा भूमि के लिए अद्यतन जीएलआर उद्धरण उच्च अधिकारियों को अग्रेषित किया जाएगा।

16. सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के 2301 वर्ग फुट मापने वाले जीएलआरएस नंबर 388/635-बी में पूरी तरह से समाप्त पट्टे की पूरी अवधि से परे पट्टे का विस्तार

जीएलआरएस संख्या 388/635-बी के संबंध में लीज को पूरी तरह से समाप्त लीज की पूरी अवधि से आगे बढ़ाने पर विचार करने के लिए, पट्टे की पूर्ण अवधि की समाप्ति की तिथि पर प्रचलित संशोधित एसटीआर दर पर पट्टा किराए के भुगतान पर 01-01-2020 से 31-12-2021 तक की अवधि के लिए सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के 2301 वर्ग फुट को मापना।

जीएलआरएस संख्या 388/635-बी में रक्षा भूमि, 2301 वर्ग फुट को मापने, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के अंदर स्थित बी -3 के रूप में वर्गीकृत छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत रखा गया था, जिसे सीएलएआर 1925 की अनुसूची VI में 30 साल की अवधि के लिए पट्टेदार के विकल्प पर 90 साल तक की अवधि के लिए 17-05-1929 से वार्षिक किराए रु.3/- का पर आवास के उद्देश्य के लिए पट्टे पर दिया गया था और सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत, 1929 के दस्तावेज़ संख्या 506 के रूप में पल्लावरम पुस्तक I, खंड 22, पृष्ठ 2 से 6 23-12-1929 को।

पहली अवधि के लिए पट्टा 16-05-1959 को समाप्त हो गया और सीएलएआर 1937 की अनुसूची IV में निष्पादित नवीकरण पट्टा समझौते के तहत 17-05-1959 से 30 वर्षों की दूसरी अवधि के लिए पट्टे का नवीनीकरण किया गया था और उप-रजिस्ट्रार कार्यालय, पल्लावरम में दस्तावेज़ संख्या 1086 के 1960, खंड 99, पृष्ठ 351 और 352 के रूप में 28-04-1960 को 4.50 रुपये के वार्षिक किराए पर पंजीकृत।

दूसरे कार्यकाल के लिए लीज 16-05-1989 को समाप्त हो गई और तीसरे के लिए लीज और 30 वर्ष की अंतिम अवधि को सीएलएआर 1937 की अनुसूची IV में निष्पादित नवीकरण पट्टा समझौते के तहत 17-05-1989 से नवीनीकृत किया गया है और उप-रजिस्ट्रार कार्यालय, पल्लावरम में पंजीकृत, पुस्तक I के 2014 के दस्तावेज़ संख्या 2178 के रूप में, 14-03-2014 को 7/- रुपये के वार्षिक किराए पर 6 पृष्ठ हैं।

30 साल की तीसरी और आखिरी अवधि के लिए लीज यानी 90 साल की कुल अवधि (पूर्ण अवधि) की अवधि 16-05-2019 को समाप्त हो गई है।

भारत सरकार की अंतरिम नीति के अनुसार, रक्षा मंत्रालय, पत्र संख्या 11013/2/2016/डी(भूमि) दिनांक 10-03-2017 द्वारा जारी और 11013/2/2016/डी(भूमि) दिनांक 31-12-2018, छावनी बोर्ड ने पट्टेदार से अनुरोध किया, श्री वी कुप्पन, पत्र

संख्या एसटीएम/एडीएम/लीज/42/0607 दिनांक 21-03-2019 के माध्यम से जीएलआरएस संख्या 388/635-बी, 2301 वर्ग फुट में पट्टे के विस्तार के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए, 17-05-2019 से 31-12-2019 की अवधि के लिए और मौजूदा एसटीआर की संशोधित दर पर पट्टा किराए के बकाया का भुगतान करने के लिए और उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार।

जवाब में, पट्टेदार ने पत्र दिनांक 11-04-2019 के माध्यम से दिनांक 17-05-2019 से 31-12-2019 तक की अवधि के लिए पट्टे के विस्तार के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की और मौजूदा एसटीआर की संशोधित दर पर लीज रेंट का भुगतान करने के लिए।

इसके बाद, छावनी बोर्ड ने पत्र संख्या एसटीएम/एडीएम/एलईएसई/42/0886 दिनांक 14-05-2019 के माध्यम से पट्टेदार को डिमांड नोटिस जारी किया और एसटीएम/एडीएम/लीज/42/2467 दिनांक 20-11-2019 को 17-05-2019 से 31-12-2019 तक की अवधि के लिए आवासीय दर पर लीज रेंट के बकाया के रूप में 1,73,852/- रुपये की राशि प्रेषित करने के लिए जीएलआरएस संख्या 388/635-बी में 2301 वर्ग फुट की भूमि के संबंध में। इसके अलावा, पट्टेदार ने सीबी 4बी रसीद संख्या सी. 43828 दिनांक 24-06-2019 के माध्यम से 20,000/- रुपये का भुगतान किया और रु.1,53,852/- सीबी 4बी रसीद संख्या सी.47073 दिनांक 28-11-2019 के अनुसार (कुल 1,73,852/-)।

पट्टेदार के बाद से, श्री वी कुप्पन ने भारत सरकार की अंतरिम नीति के अनुसार पट्टे की पूर्ण अवधि (90 वर्ष) की समाप्ति की तिथि पर प्रचलित एसटीआर की संशोधित दर पर पट्टा किराए के बकाया का भुगतान किया है, रक्षा मंत्रालय, जीएलआरएस सं.388/635-बी में पट्टे का विस्तार, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के 2301 वर्ग फुट को आवासीय उद्देश्य के लिए 17-05-2019 से 31-12-2019 की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था और सीएलएआर 1937 की अनुसूची IV में उपयुक्त रूप से संशोधित पट्टा समझौता, डीजीडीई पत्र संख्या 18/48/एल/डीई/57 दिनांक 23-03-2017 के माध्यम से प्राप्त किया गया है और इसे उप-पंजीयक कार्यालय पल्लावरम में 2020 के दस्तावेज संख्या 133 के रूप में पंजीकृत किया गया है।

भारत सरकार की नवीनतम अंतरिम नीति के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने पत्र संख्या 11013/2/2016/डी(भूमि) दिनांक 15-02-2021 के माध्यम से जारी किया, पट्टेदार श्री वी कुप्पन ने जीएलआरएस संख्या 388/635-बी में पट्टे के विस्तार के लिए पत्र दिनांक 07.06.2021 के माध्यम से अपनी इच्छा से अवगत कराया, 01.01.2020 से 31.12.2021 तक की अवधि के लिए 2301 वर्ग फुट को मापना तथा शासन के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार संशोधित दर पर लीज रेंट का भुगतान करना।

इसके बाद, छावनी बोर्ड ने पत्र संख्या एसटीएम/एडीएम/लीज/40/1108 दिनांक 17-06-2021 के माध्यम से पट्टेदार को मांग नोटिस जारी किया, पत्र संख्या एसटीएम/एडीएम/लीज/40/1340 दिनांक 19-07-2021 के माध्यम से और पत्र संख्या एसटीएम/एडीएम/लीज/40/0092 दिनांक 21-12-2021 के माध्यम से दिनांक 01.01.2020 से 31-12-2021 तक की अवधि के लिए आवासीय दर पर बकाया लीज रेंट के रूप में 5,67,986/- रुपये की राशि भेजने का अनुरोध करते हुए जीएलआरएस संख्या 388/635-बी में 2301 वर्ग फुट की भूमि के संबंध में। इसके अलावा, पट्टेदार ने चेक संख्या 716020 दिनांक 27.12.2021 के तहत 5,67,986/- रुपये की पूरी राशि का भुगतान किया।

पट्टेदार के बाद से, श्री वी. कुप्पन ने भारत सरकार की अंतरिम नीति के अनुसार पट्टे की पूर्ण अवधि (90 वर्ष) की समाप्ति की तिथि पर प्रचलित एसटीआर की संशोधित दर पर पट्टा किराए के बकाया का भुगतान किया है, रक्षा मंत्रालय, जीएलआरएस सं.388/635-बी में पट्टे का विस्तार, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के 2301 वर्ग फुट को आवासीय उद्देश्य (आवास) के लिए 01.01.2020 से 31.12.2021 की अवधि के लिए अनुमोदित किया जाना है और सीएलएआर 1937 की अनुसूची IV में उपयुक्त रूप से संशोधित पट्टा समझौता है, डीजीडीई के पत्र संख्या 18/48/एल/डीई/57 दिनांक 18-02-2021 के माध्यम से प्राप्त निष्पादन और पंजीकरण किया जाना है।

संबंधित फाइल और कार्यालय रिपोर्ट को पटल पर रखा गया है।

संकल्प सं: 16: माना और स्वीकृत किया गया। बोर्ड ने उपयुक्त रूप से संशोधित समझौते को निष्पादित और पंजीकृत करने का संकल्प लिया। इसके बाद, विषय पट्टा भूमि के लिए अद्यतन जीएलआर उद्घरण उच्च अधिकारियों को अग्रेषित किया जाएगा।

17. जीएलआरएसवाई संख्या 388/638-एफ में पूरी तरह से समाप्त पट्टे की पूर्ण अवधि से परे पट्टे का विस्तार, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के 169 वर्ग फुट को मापना

जीएलआरएस संख्या 382/638-एफ के संबंध में पूरी तरह से समाप्त हो चुके पट्टे की पूर्ण अवधि से परे पट्टे के विस्तार पर विचार करने के लिए, लीज की पूर्ण अवधि की समाप्ति की तारीख को प्रचलित संशोधित एसटीआर दर पर लीज रेंट के भुगतान पर 01-01-2020 से 31-12-2021 तक की अवधि के लिए सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के 169 वर्गफुट को मापना।

जीएलआरएस संख्या 388/638-एफ में रक्षा भूमि, 169 वर्ग फुट को मापने, बी -3 के रूप में वर्गीकृत, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के अंदर स्थित है और छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत रखा गया था, जिसे सीएलएआर 1925 की अनुसूची VI में 30 साल की अवधि के लिए पट्टेदार के विकल्प पर 90 साल तक की अवधि के लिए 28-10-1929 से वार्षिक किराए 24/- रुपये पर दुकान के उद्देश्य के लिए पट्टे पर दिया गया था और सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय पल्लावरम में बुक -1 के 1930 के दस्तावेज़ संख्या 1188 के रूप में पंजीकृत है, जिसमें 06-10-1930 को 02 शीट हैं।

पहली अवधि के लिए लीज 27-10-1959 को समाप्त हो गई और 30 साल की दूसरी अवधि के लिए लीज 28-10-1959 से सीएलएआर 1937 की अनुसूची IV में निष्पादित नवीनीकरण पट्टा समझौते के तहत नवीनीकृत की गई थी और उप पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत, 1963 के दस्तावेज़ संख्या 69 के रूप में पल्लावरम, पुस्तक -I, खंड 260, पृष्ठ 101 और 102 19-01-1963 को 36 / - के वार्षिक किराए पर।

दूसरे कार्यकाल के लिए लीज 27-10-1989 को समाप्त हो गई और तीसरे के लिए लीज और 30 वर्ष की अंतिम अवधि को सीएलएआर 1937 की अनुसूची IV में निष्पादित नवीकरण पट्टा समझौते के माध्यम से 28-10-1989 से नवीनीकृत किया गया है और उप-रजिस्ट्रार कार्यालय, पल्लावरम में 2014 के दस्तावेज़ संख्या 4551 के रूप में पंजीकृत, पुस्तक - I, में 30-05-2014 को 06 शीट शामिल हैं, जिसका वार्षिक किराया 54 / - है।

30 वर्ष की तीसरी और अंतिम अवधि के लिए लीज यानी 90 साल की कुल अवधि (पूर्ण अवधि) 27-10-2019 को समाप्त हो गई है।

भारत सरकार की अंतरिम नीति के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने पत्र संख्या 11013/2/2016/डी(भूमि) दिनांक 10-03-2017 और 11013/2/2016/डी(भूमि), दिनांक 31-12-2018 के माध्यम से जारी किया, छावनी बोर्ड ने पट्टेदार श्री वी कुप्पन से पत्र संख्या एसटीएम/एडीएम/लीज/43/0922 के माध्यम से अनुरोध किया, दिनांक 21-05-2019 को जीएलआरएस संख्या 388/638-एफ में पट्टे के विस्तार के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए, 28-10-2019 से 31-12-2019 तक की अवधि के लिए 169 वर्ग फुट का मापन और लीज रेंट के बकाया का भुगतान मौजूदा एसटीआर की संशोधित दर पर और उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार करना है।

जवाब में, पट्टेदार ने दिनांक 09-07-2019 के पत्र के माध्यम से दिनांक 28-10-2019 से 31-12-2019 तक की अवधि के लिए पट्टे के विस्तार और प्रचलित एसटीआर की संशोधित दर पर पट्टा किराए का भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की है।

इसके बाद, छावनी बोर्ड ने पत्र संख्या एसटीएम/एडीएम/लीज/43/1545 दिनांक 26-07-2019 के माध्यम से पट्टेदार को मांग नोटिस जारी किया और एसटीएम/एडीएम/लीज/43/2466 दिनांक 20-11-2019 में 28-10-2019 से 31-12-2019 की अवधि के लिए वाणिज्यिक दर पर पट्टा किराए के बकाया के लिए 7,264/- रुपये की राशि जमा करने के लिए जीएलआरएस संख्या 388/638-एफ में 169 वर्ग फुट की भूमि के संबंध में। इसके अलावा, पट्टेदार ने सीबी 4बी रसीद संख्या सी47072, दिनांक 28-11-2019 के तहत 7,264/- रुपये का भुगतान किया।

पट्टेदार के बाद से, श्री वी कुप्पन ने भारत सरकार की अंतरिम नीति के अनुसार पट्टे की पूर्ण अवधि (90 वर्ष) की समाप्ति की तिथि पर प्रचलित एसटीआर की संशोधित दर पर पट्टा किराए के बकाया का भुगतान किया है, रक्षा मंत्रालय, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के 169 वर्ग फुट मापने वाले जीएलआरएस संख्या 388/638-एफ में पट्टे के विस्तार को 28-10-2019 से 31-12-2019 की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था और सीएलएआर 1937 की अनुसूची IV में उपयुक्त रूप से संशोधित पट्टा समझौता, डीजीडीई पत्र संख्या 18/48/एल/डीई/57, दिनांक 23-03-2017 के माध्यम से प्राप्त किया गया है और इसे उप-पंजीयक कार्यालय पल्लावरम में 2020 के दस्तावेज संख्या 131 के रूप में पंजीकृत किया गया है।

भारत सरकार की नवीनतम अंतरिम नीति के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने पत्र संख्या 11013/2/2016/डी(भूमि) के माध्यम से जारी किया, दिनांक 15-02-2021, पट्टेदार, श्री वी कुप्पन ने जीएलआरएसवाई संख्या 388/638-एफ में पट्टे के विस्तार के लिए पत्र दिनांक 07.06.2021 के माध्यम से अपनी इच्छा व्यक्त की, 01.01.2020 से 31.12.2021 की अवधि के लिए 169 वर्ग फुट और भूमि पट्टा किराये का भुगतान शासन के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार संशोधित दर पर करना।

इसके बाद, छावनी बोर्ड ने पत्र संख्या एसटीएम/एडीएम/लीज/40/1109 दिनांक 17-06-2021 के माध्यम से पट्टेदार को डिमांड नोटिस जारी किया, पत्र संख्या एसटीएम/एडीएम/लीज/40/1338 दिनांक 19-07-2021 के माध्यम से और पत्र संख्या एसटीएम/एडीएम/लीज/40/0093 दिनांक 21-12-2021 के माध्यम से जीएलआरएस संख्या 388/638-एफ में 169 वर्ग फुट की भूमि के संबंध में 01.01.2020 से 31-12-2021 तक की अवधि के लिए वाणिज्यिक दर पर पट्टा किराए के बकाया के रूप में 83,430 / - की राशि भेजने का अनुरोध किया। इसके अलावा, पट्टेदार ने चेक संख्या 716021 दिनांक 27.12.2021 के तहत 83,430/- रुपये की पूरी राशि का भुगतान किया।

पट्टेदार के बाद से, श्री वी कुप्पन ने भारत सरकार की अंतरिम नीति के अनुसार पट्टे की पूर्ण अवधि (90 वर्ष) की समाप्ति की तिथि पर प्रचलित एसटीआर की संशोधित दर पर पट्टा किराए के बकाया का भुगतान किया है, रक्षा मंत्रालय, जीएलआरएस संख्या 388/638-एफ में पट्टे का विस्तार, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के 169 वर्ग फुट को वाणिज्यिक उद्देश्य (दुकान) के लिए 01.01.2020 से 31.12.2021 की अवधि के लिए और सीएलएआर 1937 की अनुसूची IV में उपयुक्त रूप से संशोधित पट्टा समझौते के लिए अनुमोदित किया जाना है, डीजीडीई पत्र संख्या 18/48/एल/डीई/57, दिनांक 18-02-2021 के माध्यम से प्राप्त निष्पादित और पंजीकृत किया जाना है।

संबंधित फाइल और कार्यालय रिपोर्ट को पटल पर रखा गया है।

संकल्प सं: 17: माना और स्वीकृत किया गया। बोर्ड ने उपयुक्त रूप से संशोधित समझौते को निष्पादित और पंजीकृत करने का संकल्प लिया। इसके बाद, विषय पट्टा भूमि के लिए अद्यतन जीएलआर उद्घरण उच्च अधिकारियों को अग्रेषित किया जाएगा।

18. जीएलआरएसवाई संख्या 256/76-ए में पूरी तरह से समाप्त पट्टे की पूर्ण अवधि से परे पट्टे का विस्तार, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के 400 वर्ग फुट को मापना

जीएलआरएस संख्या 256/76-ए के संबंध में पूरी तरह से समाप्त पट्टे की पूर्ण अवधि से परे पट्टे के विस्तार पर विचार करने के लिए, पट्टे की पूर्ण अवधि की समाप्ति की तिथि पर प्रचलित संशोधित एसटीआर दर पर पट्टा किराए के भुगतान पर 11.12.2021 से 31.12.2021 की अवधि के लिए सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के 400.00 वर्ग फुट की माप।

जीएलआरएस संख्या 256/76-ए में रक्षा भूमि, जिसकी माप 400.00 वर्ग फुट है, बी-3 के रूप में वर्गीकृत, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के अंदर स्थित है और छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत रखा गया था, जिसे सीएलएआर 1925 की अनुसूची V में 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टेदार के विकल्प पर 90 वर्ष तक के नवीकरणीय पट्टे पर दिया गया था रु.0-4-0/- के वार्षिक किराए पर घर के परिसर के विस्तार के उद्देश्य से 11-12-1931 से प्रभावी।

पहले कार्यकाल के लिए पट्टा 10-12-1961 को समाप्त हो गया और सीएलएआर 1937 की अनुसूची IV में निष्पादित नवीकरण पट्टा समझौते के तहत 11-12-1961 से 30 साल की दूसरी अवधि के लिए लीज का नवीनीकरण किया गया था और सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय, सैदापेटस दस्तावेज संख्या 186 ऑफ़ 1963 में 30-01-1963 को 0.38 रुपये के वार्षिक किराए पर पंजीकृत।

दूसरे कार्यकाल के लिए लीज 10-12-1991 को समाप्त हो गई और सीएलएआर 1937 की अनुसूची IV में निष्पादित और संयुक्त उप-रजिस्ट्रार - II में पंजीकृत नवीनीकरण पट्टा समझौते के माध्यम से 30 वर्षों की तीसरी और अंतिम अवधि के लिए पट्टा 11-12-1991 से नवीनीकृत किया गया है, सईदापेट 2015 के दस्तावेज संख्या 567 के रूप में 13.03.2015 को रु.1/- के वार्षिक किराए पर। दर्ज पट्टेदार श्रीमती फ्लोरेस मोहन, माननीय सचिव, सेंट थॉमस चर्च, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई - 600 016 द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं।

30 साल की तीसरी और आखिरी अवधि के लिए लीज यानी 90 साल की कुल अवधि (पूर्ण अवधि) 10-12-2021 को समाप्त हो गई है।

भारत सरकार की नवीनतम अंतरिम नीति के अनुसार, रक्षा मंत्रालय, पत्र संख्या 11013/2/2016/डी(भूमि) द्वारा जारी किया गया, दिनांक 15-02-2021, छावनी बोर्ड ने श्रीमती फ्लोरेस मोहन को पत्र और मांग नोटिस जारी किया है, माननीय सचिव, सेंट थॉमस चर्च, सेंट थॉमस माउंट ने पत्र संख्या एसटीएम/एडीएम/लीज/11/2588 दिनांक 24-12-2021 के माध्यम से जीएलआर संख्या 256/76-ए में 400 वर्ग फुट मापने वाले पट्टे के विस्तार की इच्छा व्यक्त करने का अनुरोध किया 11-12-2021 से 31-12-2021 की अवधि के लिए और सरकार के नियम एवं शर्तों के अनुसार 11-12-2021 से 31-12-2021 की अवधि के लिए संशोधित दर पर रक्षा भूमि की आवासीय दर पर 1293/- रुपये का भुगतान करने के लिए। सेंट थॉमस (गैरीसन) चर्च के वर्तमान माननीय सचिव, श्री ऑगस्टीन चेलिया ने पत्र दिनांक 26-12-2021 के माध्यम से जीएलआरएस संख्या 256/76-ए में पट्टे के विस्तार के लिए अपनी इच्छा से अवगत कराया, जिसकी अवधि 11.12.2021 से 31.12.2021 की अवधि के लिए 400.00 वर्ग फुट है और चेक संख्या 770536 दिनांक 26.12.2021 के तहत लीज रेंट के लिए 1293/- रुपये का आईओबी चेक संलग्न है।

सेंट थॉमस (गैरीसन) चर्च के वर्तमान सचिव के बाद से, श्री ऑगस्टीन चेलिया ने भारत सरकार की अंतरिम नीति के अनुसार पट्टे की पूर्ण अवधि (90 वर्ष) की समाप्ति की तिथि पर प्रचलित एसटीआर की संशोधित दर पर पट्टा किराए के बकाया का भुगतान किया है, रक्षा मंत्रालय, जीएलआरएस संख्या 256/76-ए में पट्टे का विस्तार, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के 400.00 वर्ग फुट को मापने के लिए 11.12.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि के लिए परिसर के विस्तार के लिए मकान संख्या 267 और सीएलएआर 1937 की अनुसूची IV में उपयुक्त रूप से संशोधित पट्टा समझौते को मंजूरी दी जानी है, डीजीडीई के पत्र संख्या 18/48/एल/डीई/57 दिनांक 18-02-2021 के माध्यम से प्राप्त निष्पादन और पंजीकरण किया जाना है।

संबंधित फाइल और कार्यालय रिपोर्ट को पटल पर रखा गया है।

संकल्प सं: 18: माना और स्वीकृत किया गया। बोर्ड ने उपयुक्त रूप से संशोधित समझौते को निष्पादित और पंजीकृत करने का संकल्प लिया। इसके बाद, विषय पट्टा भूमि के लिए अद्यतन जीएलआर उद्घरण उच्च अधिकारियों को अग्रेषित किया जाएगा।

19. लाभकारी परियोजनाओं के उद्देश्य के लिए छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत रक्षा भूमि के उद्देश्य में परिवर्तन

संदर्भ: डीजीडीई पत्र संख्या 738/225/एल/डीई/एससी/विविध/2021 दिनांक 27-12-2021.

सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी में स्थित छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत रक्षा भूमि के उद्देश्य के परिवर्तन के प्रस्ताव पर विचार करना। लाभकारी परियोजनाओं के उद्देश्य में परिवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण नीचे सूचीबद्ध है:-

क्रम संख्या	जीएलआरएस संख्या	मौजूदा वर्गीकरण	प्रबंध	मौजूदा उद्देश्य	क्षेत्र	स्थान	प्रस्तावित उद्देश्य	प्रस्तावित सीमा
1.	जीएलआरएस संख्या 2इ	सी	छावनी बोर्ड	खैर, पंप हाउस और ड्राइवर क्वार्टर	3.0794 एकड़	युद्ध कब्रिस्तान से सटे भूमि, माउंट पूनमल्ली रोड, सेंट थॉमस माउंट (अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के अंदर)	खैर, पंप हाउस और लाभकारी परियोजनाएं	3.0794 एकड़
2.	आरएस संख्या 57/1, 57/2 और 58	एनए	छावनी बोर्ड	ट्रेडिंग ग्राउंड	11.890 एकड़	जैन कॉलेज के पास भूमि, नंगनल्लूर (छावनी सीमा के बाहर)	लाभकारी परियोजनाएं	11.890 एकड़

उपर्युक्त भूमि एक बहुत ही प्रमुख क्षेत्र में स्थित हैं और धन की कमी के कारण कई वर्षों से किसी भी उपयोग में नहीं हैं। उक्त भूमि मुख्य सड़कों, व्यावसायिक क्षेत्रों, महाविद्यालयों, विद्यालयों आदि से घिरी हुई है और इसलिए, छावनी बोर्ड को राजस्व उत्पन्न करने के लिए व्यावसायिक उपयोग में लाया जा सकता है, जो आर्थिक रूप से घाटे में है और अनुदान के लिए सरकार पर निर्भर है। छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 64 के अनुसार बोर्ड को पारिश्रमिक परियोजनाओं की स्थापना और उपक्रम के लिए प्रावधान करने का काम सौंपा गया है।

बोर्ड के ध्यान में लाया जाता है कि छावनी भूमि प्रशासन नियम, 2021 की धारा 40, डीजीडीई को छावनियों में वर्ग 'सी' भूमि के 'उद्देश्य परिवर्तन' को मंजूरी देने का अधिकार देती है।

चूंकि सीएलएआर, 2021 डीजीडीई को धारा 40 के अनुसार उद्देश्य के परिवर्तन को मंजूरी देने का अधिकार देता है, छावनी बोर्ड को सौंपी गई भूमि को उत्पादक और बेहतर तरीके से पारिश्रमिक उद्देश्यों के लिए प्रबंधित करने के लिए उपरोक्त वर्णित विवरण के अनुसार प्रस्ताव डीजीडीई को अग्रेषित किया जाना चाहिए।

संबंधित फाइलें और कागजात मेज पर रखे गए हैं।

संकल्प सं: 19: रक्षा भूमि के प्रबंधन के तहत रक्षा भूमि के उद्देश्य को बदलने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के प्रस्ताव पर विचार किया और स्वीकृत किया गया i) 3.0794 एकड़ कुओं, पंप हाउस और ड्राइवर के क्वार्टर से लेकर कुओं, पंप हाउस और पुनर्मूल्यांकन परियोजनाओं के लिए और ii) छावनी सीमा के बाहर स्थित ट्रेडिंग ग्राउंड से 11.890 एकड़, सीएलएआर, 2021 की धारा 40 के अनुसार पारिश्रमिक परियोजनाओं के लिए छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत।

20. छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत बी -4 रक्षा भूमि का पुनः वर्गीकरण, कक्षा सी में और खाली भूमि से लाभकारी परियोजनाओं के उद्देश्य में परिवर्तन

रक्षा भूमि के उद्देश्य में परिवर्तन और पुनर्वर्गीकरण के प्रस्ताव पर विचार करना, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी में स्थित छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत। पुनर्वर्गीकरण के लिए भूमि का विवरण नीचे सूचीबद्ध है: -

क्रम संख्या	जीएलआरएस संख्या	मौजूदा वर्गीकरण	प्रबंध	मौजूदा उद्देश्य	क्षेत्र	स्थान	Proposed classification	Proposed purpose	Proposed extent
1.	जीएलआरएस संख्या 388/432 - अंश	B4	छावनी बोर्ड	खाली	14.97 एकड़	अत्तुथोदी मैदान, पम्मल मेन रोड, सी पल्लावरम	सी	लाभकारी परियोजनाएं	2.471 एकड़

उपर्युक्त भूमि एक बहुत ही प्रमुख क्षेत्र में स्थित है और कई वर्षों से इसका उपयोग नहीं किया जाता है। उक्त भूमि मुख्य सड़कों, स्कूलों, बैंकों, होटलों, वाणिज्यिक क्षेत्र आदि से घिरी हुई है, और इसलिए, छावनी बोर्ड को राजस्व उत्पन्न करने के लिए व्यावसायिक उपयोग में लाया जा सकता है, जो आर्थिक रूप से घाटे में है और अनुदान पर निर्भर है। बोर्ड को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा (64) के अनुसार लाभकारी परियोजनाओं की स्थापना और उपक्रम के लिए प्रावधान करने का काम सौंपा गया है।

अतः छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत अधिसूचित सिविल क्षेत्र के भीतर स्थित 14.97 एकड़ में से 2.471 एकड़ की मौजूदा बी-4 खाली भूमि को 'सी' भूमि में लाभकारी परियोजनाओं के लिए धारा (8) के अनुसार पुनर्वर्गीकृत करने का प्रस्ताव शुरू करने का प्रस्ताव है और छावनी भूमि प्रशासन नियम, 2021 की धारा (40).

संबंधित फाइलें और कागजात मेज पर रखे गए हैं।

संकल्प सं: 20: 14.97 एकड़ में से 2.471 एकड़ की वर्तमान बी-4 रिक्त भूमि को पुनर्वर्गीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन किया गया, अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के अंदर स्थित, छावनी भूमि प्रशासन नियम, 2021 की धारा (8) और धारा (40) के अनुसार लाभकारी परियोजनाओं के लिए छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत 'सी' श्रेणी में भूमि।

21. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग, छावनी बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम के लिए ट्रक माउंटेड सक्शन मशीन की खरीद

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग, छावनी बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम के लिए 01 ट्रक माउंटेड सक्शन मशीन की खरीद और आपूर्ति पर विचार और अनुमोदन करना।

कार्यालय रिपोर्ट :- गवर्नमेंट ई मार्केट (जेम) बीओक्यू बिड नंबर: जेम/2021/बी/1781711 दिनांक: 20-12-2021, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अनुभाग के लिए 01 ट्रक माउंटेड सक्शन मशीन 10000 लीटर की खरीद और आपूर्ति के लिए बुलाया गया था, छावनी बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम और 03.01.2022 को 10.00 बजे खोला गया 4 बोलीदाताओं की संख्या ने भाग लिया। बोलियों की जांच पर, फर्मों 1. मेसर्स ट्रेडिंग ट्रक्स प्राइवेट लिमिटेड 2. मेसर्स एनसोल मल्टीक्लीन इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड 3. मेसर्स एपेक्स इंडस्ट्रीज और 4. मेसर्स एआरपी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने आवश्यक तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार बोलियां जमा कर दी हैं। इसलिए, सभी 4 बोलीदाताओं, वित्तीय बोली के लिए पात्र पाए जाते हैं जो 20-01-2022 को 10:30 बजे छावनी बोर्ड के कार्यालय में समिति सदस्यों की उपस्थिति में खोली गई थी। जेम बोलियों में उद्धृत दरें इस प्रकार हैं: -

क्रम संख्या	ठेकेदार का नाम	मद का नाम	कर सहित दर	कर सहित उद्धृत कुल दर	टिप्पणियाँ
1.	मेसर्स एनसोल मल्टीक्लीन इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	ट्रक माउंटेड सक्शन मशीन 10000 लीटर -1 नंबर	33,45,000/-	33,45,000/-	सबसे कम
2.	मेसर्स ट्रेडिंग ट्रक्स प्राइवेट लिमिटेड	ट्रक माउंटेड सक्शन मशीन 10000 लीटर -1 नंबर	33,95,900/-	33,95,900/-	
3.	मेसर्स एआरपी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	ट्रक माउंटेड सक्शन मशीन 10000 लीटर -1 नंबर.	33,98,900/-	33,98,900/-	
4.	मेसर्स एपेक्स इंडस्ट्रीज	ट्रक पर चढ़कर सक्शन मशीन 10000 लीटर -1 नंबर	36,64,500/-	36,64,500/-	

इस संबंध में संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं।

संकल्प सं: 21: मैसर्स एनसोल मल्ली क्लीन इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उद्धृत न्यूनतम राशि रु.33,45,000/- पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया स्वास्थ्य और स्वच्छता अनुभाग, छावनी बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम के लिए 01 ट्रक माउंटेड सक्शन मशीन 10,000 लीटर की खरीद और आपूर्ति की दिशा में।

22. स्वास्थ्य और स्वच्छता विभाग, छावनी बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम के लिए संरक्षण के उद्देश्य से ट्राइसाइकिल या रिक्शा की खरीद

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग, छावनी बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम के लिए 30 नंबर की ट्राइसाइकिल या रिक्शा की खरीद और आपूर्ति पर विचार और स्वीकृति देना।

कार्यालय रिपोर्ट :- गवर्नमेंट ई मार्केट (जेम) रिवर्स ऑक्शन बिड नंबर: जेम/2021/ आरए /96417 दिनांक: 20-12-2021, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग द्वारा घर-घर कूड़ा उठाने के लिए 30 ट्राइसाइकिल या रिक्शा की खरीद व आपूर्ति के लिए बुलाया गया था। छावनी बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम और इसे 03.01.2022 को 10.00 बजे खोला गया था, जिसमें कुल 9 बोलीदाताओं ने भाग लिया था। संवीक्षा पर, फर्मों 1. मैसर्स शिल्पी इंजीनियरिंग वर्क्स 2. मैसर्स घनश्याम फैब्रिकेटर्स 3. मैसर्स जेपीएस एजेंसी 4. मैसर्स जीजे इंटरप्राइजेज 5. मैसर्स लैस्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स 6. मैसर्स पुष्पा मेडिकल स्टोर 7. मैसर्स इंडोटेक इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड 8. मैसर्स यूएम सुविधा सेवाएं 9. मैसर्स नैन्सन्स एंटरप्राइजेज कंपनी ने जीईएम पोर्टल में उल्लिखित आवश्यक विनिर्देश प्रस्तुत नहीं किए हैं, इसलिए उपरोक्त फर्मों को अपात्र पाया गया और अस्वीकार कर दिया गया। हालांकि, मैसर्स जेपीएस एजेंसी ने 20-01-2022 को 21:39 बजे अभ्यावेदन दिया है और जेम पोर्टल में उल्लिखित विनिर्देशों को प्रस्तुत किया है। इसलिए एक निविदाकर्ता, मैसर्स जेपीएस एजेंसी को वित्तीय बोली के लिए पात्र पाया गया और इसे 24-01-2022 को 14:00 बजे छावनी बोर्ड के कार्यालय में समिति के सदस्यों की उपस्थिति में खोला गया। केवल एक निविदाकर्ता अर्थात् मैसर्स जेपीएस एजेंसी ने रिवर्स नीलामी वित्तीय बोली में भाग लिया है। इस संबंध में मैसर्स जेपीएस एजेंसी द्वारा उद्धृत दरें इस प्रकार हैं:-

क्रम संख्या	ठेकेदार का नाम	वस्तु का नाम	टैक्स सहित दर	कर सहित उद्धृत कुल दर	टिप्पणियाँ
1.	मैसर्स जेपीएस एजेंसी	तिपहिया या रिक्शा - 30 नंबर	रु. 39,500/-	रु. 11,85,000/-	निम्नतम

इस संबंध में संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं।

संकल्प सं: 22: स्वास्थ्य और स्वच्छता विभाग, छावनी बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम द्वारा डोर टू डोर कचरा संग्रह के लिए 30 ट्राइसाइकिल या रिक्शा की खरीद और आपूर्ति के लिए मैसर्स जेपीएस एजेंसी द्वारा उद्धृत न्यूनतम राशि रु.11,85,000 /- को माना और अनुमोदित किया गया।

23. डॉ अम्बेडकर छावनी मोंटेसरी स्कूल, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम छावनी प्राथमिक विद्यालय, पल्लावरम और कामराजार छावनी प्राथमिक विद्यालय, गांधी छावनी मोंटेसरी स्कूल, सेंट थॉमस माउंट के लिए तीसरी अवधि की पाठ्य पुस्तक की खरीद

संदर्भ: 1. एचएम, सीबीपीएस, पल्लावरम और एचएम सीबीपीएस, सेंट थॉमस माउंट से प्राप्त अनुरोध पत्र दिनांक 06.01.2022।

2. तमिलनाडु पाठ्यपुस्तक और शैक्षिक सेवा निगम से प्राप्त चालान।

यह निवेदन किया जाता है कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में यह कार्यालय डॉ बी आर अंबेडकर छावनी मोंटेसरी स्कूल में पढ़ने वाले हमारे स्कूली बच्चों को पाठ्य पुस्तकें जारी करता है, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम छावनी प्राइमरी स्कूल, पल्लावरम और कामराजार छावनी प्राथमिक विद्यालय, गांधी छावनी मोंटेसरी स्कूल, सेंट थॉमस माउंट मुफ्त में। यह सूचित किया जाता है कि यह

कार्यालय तमिलनाडु सरकार की एक इकाई, तमिलनाडु पाठ्यपुस्तक और शैक्षिक सेवा निगम से स्कूली पाठ्य पुस्तकों की खरीद करता है। इस संबंध में निम्नलिखित पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता है तथा प्राप्त पाठ्यपुस्तकों की दर का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	स्कूल का नाम	मानक	राशि
1.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर छावनी मोंटेसरी स्कूल, पल्लावरम	पहली मानक से पांचवीं मानक - तीसरी अवधि	रु 1,25,856/-
2.	डॉ एपीजे अब्दुल कलाम छावनी प्राथमिक विद्यालय, पल्लावरम	पहली मानक से पांचवीं मानक - तीसरी अवधि	रु 14,877/-
3.	कामराजार छावनी प्राथमिक विद्यालय, सेंट थॉमस माउंट	पहली मानक से पांचवीं मानक - तीसरी अवधि	रु 2,992/-
4.	गांधी छावनी मोंटेसरी स्कूल, सेंट थॉमस माउंट	पहली मानक से पांचवीं मानक - तीसरी अवधि	रु 14,753/-
		कुल	रु 1,58,478/-

बोर्ड उपरोक्त पाठ्य पुस्तकों को तमिलनाडु पाठ्यपुस्तक और शैक्षिक सेवा निगम, चेन्नई से प्राप्त करने का निर्णय ले सकता है।

इस संबंध में संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं।

संकल्प सं: 23: तमिलनाडु पाठ्यपुस्तक और शैक्षिक सेवा निगम से छावनी स्कूलों के सभी छात्रों के लिए तीसरी अवधि की पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए माना और अनुमोदित।

24. डॉ अम्बेडकर छावनी मोंटेसरी स्कूल, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम छावनी प्राथमिक विद्यालय, पल्लावरम और कामराजार छावनी प्राथमिक विद्यालय, गांधी छावनी मोंटेसरी स्कूल सेंट थॉमस माउंट के लिए नोटबुक की खरीद

संदर्भ: 1. एचएम, सीबीपीएस, पल्लावरम और एचएम सीबीपीएस, सेंट थॉमस माउंट से प्राप्त अनुरोध पत्र दिनांक 06.01.2022.

2. तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति निगम से प्राप्त चालान।

यह निवेदन किया जाता है कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में यह कार्यालय डॉ बी आर अंबेडकर छावनी मोंटेसरी स्कूल में पढ़ने वाले हमारे स्कूली बच्चों को नोटबुक जारी करता है, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम छावनी प्राथमिक विद्यालय, पल्लावरम और कामराजार छावनी प्राथमिक विद्यालय, गांधी छावनी मोंटेसरी स्कूल, सेंट थॉमस माउंट नि: शुल्क। यह सूचित किया जाता है कि यह कार्यालय तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति निगम से स्कूल नोट बुक की खरीद करता है। इस संबंध में निम्नलिखित नोटबुक की आवश्यकता है और प्राप्त नोट बुक की दर का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	स्कूल का नाम	मानक	राशि
1.	डॉ बी आर अम्बेडकर छावनी मोंटेसरी स्कूल, पल्लावरम	पहली मानक से पांचवीं मानक	रु.1,62,275-72
2.	डॉ एपीजे अब्दुल कलाम छावनी प्राथमिक विद्यालय, पल्लावरम	पहली मानक से पांचवीं मानक	रु.16,153-67
3.	कामराजार छावनी प्राथमिक विद्यालय, सेंट थॉमस माउंट	पहली मानक से पांचवीं मानक	रु.4,857-12

4.	गांधी छावनी मोटेसरी स्कूल, सेंट थॉमस माउंट	पहली मानक से पांचवीं मानक	रु.26,314-98
		संपूर्ण	रु.2,09,601-49

बोर्ड उपरोक्त नोटबुक खरीदने का निर्णय ले सकता है। इस संबंध में संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं।

संकल्प सं: 24: तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति निगम से छावनी स्कूलों के सभी छात्रों के लिए नोटबुक खरीदने पर विचार और स्वीकृत।

25. संविदा आधार पर शिक्षकों के मानदेय (4 नंबर) में सुधार

संदर्भ: i) माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.01.2020 को 2019 के डब्ल्यूपी नंबर 35160, 35163, 35164 और 35165 और 2019 के डब्ल्यूएमपी नंबर 35948, 35950, 35951 और 35952 में।

ii) सीबीआर संख्या 28, दिनांक 31-12-2021.

संदर्भ में i) ऊपर, माननीय उच्च न्यायालय ने नियमित रूप से नियोजित बीटी सहायक (मूल वेतन) को प्राप्त होने वाले न्यूनतम वेतनमान के साथ याचिकाकर्ताओं (04 नंबर) के मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया है जो कि 36,400/- (छत्तीस हजार चार सौ रुपये मात्र)।

संदर्भ में ii) ऊपर, 04 याचिकाकर्ताओं के साथ 44 शिक्षक (i) श्रीमती ई ग्रेस, (ii) श्रीमती जी. मागरेट मालिनी (iii) श्रीमती जी. सबिता और (iv) श्रीमती वी लता को एक महीने की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। लेकिन लिपिकीय त्रुटि के कारण चारों याचिकाकर्ताओं के मानदेय को 36,400/- रुपये के बजाय 18,560 रुपये करने की सिफारिश की गई थी।

बोर्ड रु.18,560/- प्रति माह के बजाय रु.36,400/- के समेकित मानदेय का भुगतान करने का निर्णय ले सकता है।

संकल्प सं: 25: संविदा के आधार पर नियोजित उपरोक्त शिक्षकों के लिए 36,400/- रुपये प्रति माह के समेकित मानदेय का भुगतान करने पर विचार एवं अनुमोदन किया गया।

26. सार्वजनिक कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के उपक्रम सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड (सीईएल) की नियुक्ति

छावनी बोर्ड ने सीबीआर नंबर 22 दिनांक 26-10-2016 के तहत सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड, डी-101-106 को नियुक्त किया, पहली मंजिल, आईटीसी टॉवर नंबर 7, भीकाजी कामा प्लेस, आरके पुरम, नई दिल्ली-110 066 निर्माण के दौरान कार्यों (रखरखाव और मूल कार्यों) / सेवा की जांच के उद्देश्य से इसके विनिर्देशों, गुणवत्ता नियंत्रण और दिनांक 1-11-2016 से 31-10-2017 की अवधि के लिए कार्यदिश मूल्य प्लस सेवा कर (15%) के 0.90% की दर से कारीगरी।

इसके अलावा छावनी बोर्ड ने सीबीएसटीएम पत्र संख्या एसटीएम/वर्क्स/1/0437 दिनांक 13.02.2018 के माध्यम से सीबीआर संख्या 9 दिनांक 08.11.2017 के माध्यम से बोर्ड के अनुमोदन के बाद 01.11.2017 से 01.11.2018 तक एक वर्ष की अवधि के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार किया।

तत्पश्चात छावनी बोर्ड ने सीबीआर सं.10 दिनांक 18.12.2018 के माध्यम से बोर्ड के अनुमोदन के बाद दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक एक वर्ष की अवधि के लिए सीबीएसटीएम पत्र संख्या एसटीएम/वर्क्स/1/0584 दिनांक 18.03.2019 के माध्यम से अपनी सेवाओं का विस्तार किया।

इसके बाद छावनी बोर्ड ने सीबीएसटीएम पत्र संख्या एसटीएम/वर्क्स/1/2544 दिनांक 30.12.2020 के माध्यम से सीबीआर संख्या 13 दिनांक 24.12.2020 के माध्यम से दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 तक एक वर्ष की अवधि के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार किया।

तत्पश्चात छावनी बोर्ड ने सीबीएसटीएम पत्र संख्या एसटीएम/वर्क्स/1/0282 दिनांक 03.02.2020 के माध्यम से सीबीआर संख्या 11 दिनांक 24.01.2020 के माध्यम से 01.01.2021 से 31.12.2021 तक एक वर्ष की अवधि के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार किया।

अब, उनकी सेवाओं/अनुबंध की अवधि 31.12.2021 को समाप्त हो गई है और इसलिए मामले को एक वर्ष की अवधि के लिए 0.90% की दर से समान कारीगरी दरों के साथ उनकी सेवाओं को संलग्न करने के लिए बोर्ड को भेजा जाए।

इसलिए बोर्ड दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक भारत सरकार के एक उपक्रम मेसर्स सीईआईएल को कार्य आदेश मूल्य के 0.90% और लागू जीएसटी की दर से नियुक्त करने का निर्णय ले सकता है। संबंधित कागजात और फाइलें टेबल पर रखी गई हैं।

संकल्प सं: 26: भारत सरकार के एक उपक्रम, मेसर्स सीईआईएल को 01-01-2022 से 31-12-2022 तक कार्य ऑर्डर मूल्य के 0.90% की दर से लागू जीएसटी के साथ संलग्न करने के लिए माना और स्वीकृत किया गया, छावनी बोर्ड द्वारा निष्पादित किए जा रहे सार्वजनिक कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए।

sd/-
(ब्रिग शिव टी. वीएसएम)
राष्ट्रपति छावनी बोर्ड
सेंट थॉमस माउंट सह पल्लवारम

sd/-
(सी दिनेश कुमार रेड्डी)
सदस्य सचिव और
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
छावनी बोर्ड
सेंट थॉमस माउंट सह
पल्लवारम

दिनांक:29-01-2022

-/वास्तविक प्रति/-

कार्यालय अधीक्षक
छावनी बोर्ड